रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 1
PART III—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 29, 1973/ज्येष्ठ 8, 1895
No. 1] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 29, 1973/JYAISTHA 8, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH

Camp Gurgaon, the 26th May 1973

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

No. GRG/188/73-74.—Whereas I, G. P. Singh, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Chandigarh, being the Competent Authority under section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No. 525/IX Railway Road, situated at Gurgaon (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Gurgaon on 24th November, 1972, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee

for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XX4 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons namely—

(1) M/s Sri Narain Industries through S/Sh. Laxmi Narain Gupta, Rajrani Gupta, Savitri Gupta and Satish Kumar, 1737—Dariba Kalan, Delhi-6, (*Transferor*).

(2) M/s Bajaj Metal Works, N. Delhi—(*Transferee*) through S/Shri Surinder Pd., Shiv Kumar, Ashok Kumar, Subash Kumar, Parmodh Kumar, Vinod Kumar Sons of Shri Ram Saran Dass Bajaj J-356, New Rajinder Nagar, New Delhi-60.

(3) NIL—(Person(s) in occupation of the property)

*(4) NIL—(Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expired later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have right to be heard at the hearing of the objections.

Explanation.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Building No. 525/IX, Railway Road, Gurgaon.

सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण कार्यालय अर्धन रेंज चंडीगढ़

कैम्प गुड़गांव, 26 मई, 1973

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

सं०जो० आर० जो०/188/73-74 —मैं जो० पो० सिंह जो, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्धन रेंज चंडीगढ़।

यतः, मुझे ..... आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण

है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/– रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 525/IX है, जो रेलवे रोड, गुड़गांव में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गुड़गांव में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1 का 16) के अधीन 24–11–72 को पूर्वाचित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वाविधि सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्त के (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या उस से बचने के लिये सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आयकर या किसी धन का या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिये सुकर बनाना।

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20–क के शब्दों में पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः अब, धारा, 269–ग के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ की उपधारा अन्तरक (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मैं० सिरो नारायण इण्डस्ट्रीस मार्फत श्री लक्ष्मी नारायण गुप्ता, राजरानी गुप्ता, सावित्री गुप्ता और सतीश कुमार (अन्तरक) 1737, दरीबा कलां, देहली।

(2) बजाज मैटल वर्क्स, नई दिल्ली मार्फत श्री (अन्तरिती) श्री सुरेन्द्र प्रशाद, शिवकुमार, सुभाष कुमार, अशोक कुमार, प्रमोद कुमार, विनोद कुमार सुपुत्र राम सरन दास बजाज, जे-356, न्यू राजिन्द्र नगर, देहली–60।

(3) श्री/श्रीमती/कुमारी ..... (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) श्री/श्रीमती/कुमारी ..... (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है) को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 10 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा :

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में लिए जा सकेंगे ।

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के ऊपर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हो, की सुनवाई के लिये तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी ।

एतद्द्वारा आगे ये अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के साथ सुने जाने के लिए अधिकार होगा ।

स्पष्टीकरण.—इस में प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का. 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

बिल्डिंग नं० 525/IX, रेलवे रोड, गुड़गांव ।

अनुसूची

No. GRG/189/73-74.—Whereas I, G. P. Singh, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Chandigarh, being the Competent Authority under section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No. 22 Mehrauli Road situated at Gurgaon (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Gurgaon on 27th November, 1972 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XX4 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the aquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons namely:—

(1) Shri Sunil Jain s/o Nathu Ram Jain, Advocate, John Hall Road, Gurgaon. (Transferor).

(2) M/s. Bhagwati Motors Pvt. Ltd., Delhi, Managing Director—(Transferee).

(3) Shri/Smt./Km. Nil—[Person(s) in occupation of the property].

(4) Shri/Smt./Km. Nil—[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expired later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have right to be heard at the hearing of the objections.

Explanation.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Building Plot No. 22-Mehrauli Road (Measuring 16 Biswas), Gurgaon.

G. P. SINGH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax, Acquisition Range,
Chandigarh, Camp Gurgaon.

Dated May 26, 1973.
(Seal)

सं० जी० आर० जी०/189/73-74.—यतः, मुझे श्री जी० पी० सिंह, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज चंडीगढ़ आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रूपये से अधिक है और जिसकी सं० 22 है, जो महरौली रोड, गुड़गांव में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गुड़गांव में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 27-11-72 को पूर्वोचित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक के (अन्तरकों को) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी की आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना : और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरितों द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना :

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री सुनील जैन (अन्तरक) पुत्र श्री तख्तूराम जैन, एडवोकेट, जौन हाउस रोड गुड़गांव

(2) मैनेजिंग डाइरेक्टर मै० भगवती मोटरस (अन्तरिती) प्रा० लि०, देहली ।

(3) श्री / श्रीमती / कुमारी ..... (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ।)

(4) श्री/श्रीमती/कुमारी ..... (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाही शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 10 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में लिए जा सकेंगे ।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उपर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हो, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएगें और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिससे ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी ।

एतद्द्वारा आगे ये अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के साथ सुने जाने के लिए अधिकार होगा ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

बिल्डिंग प्लाट नं० 22, सहरौली रोड, गुड़गांव (पमायश 16 बिसवां)

जो० पी० सिंह,
प्रारूप अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज चन्डीगढ़
(कैम्प गुड़गांव) ।

तारीख 26 मई, 1973.
(सील)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, ERNAKULAM

Ernakulam, the 22nd May 1973

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961

(43 OF 1961)

No. L.C.3/73-74.—Whereas I, K. Rajagopalan, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Ernakulam being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No. Survey 408/1 situated at Venganoor Desom Thiruvallan Village (and more fully described in the Schedule annexed herto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Kollencode on 27th November, 1972 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

(1) Shri B. Kisava Moorthy—(Transferor).

(2) Shri A. Kunhumoosa Kannu—(Transferee).

*(3) [Person(s) in occupation of the property].

4) (Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days fro mthe service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have right to be heard at the hearing of the objections.

Explanation.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

3 acres of land with house and trees in Survey No. 408/1, Venganoor Desom Thuruvallon Village, Sy No. 408/5 in the West Panchayat Road in the East Road in the South and Thevan Kreshmain, land in the North.

K. RAJAGOPALAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax, Acquisition Range, Ernakulam.

Dated 22nd May, 1973
(Seal)

*Strike off where not applicable.

कार्यालय सहायक आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, एरणाकुलम

एरणाकुलम, 22 मई, 1973

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

सं० एल० सी०–3/73–74.—यतः, मुझे के० राजगोपालन सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, एरणाकुलम .....

.....

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है, कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/– रू० से अधिक है और जिसकी सं० 408/एल है, जो वेन्गानूर देशं, तिरुवल्लम विल्लेज, में स्थित है, (और इस से उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रुप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कोल्लेयोड में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 27–11–1972 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने की कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) अन्तरिती और (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है —

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और / या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन का या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना ;

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20–क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरु करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं

अतः, अब, धारा 269–ग के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269–घ का उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री बी० केशव मूर्ती ..... (अन्तरक)
2. श्री ए० कुन्ज्मूसा कण्णु ..... (अन्तरिती)
*3. श्री/श्रीमती/कुमारी ..... (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है।)
*4 श्री/श्रीमती/कुमारी ..... (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो ;—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह सूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण.— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20–क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

तिरुवल्लम विल्लेज, वेन्गानूर देशम्, सं० नं० 408/1, में वृक्ष तथा मकान से युक्त जमीन—जिसका क्षेत्रफल 3 एकड़ है।

पश्चिम में : म० नं० 408/5
पूर्व में : पंचायत रोड़
दक्षिण में : सड़क
और उत्तर में : तेवन कृष्णन का जमीन

के० राजागोपालन,
सक्षम प्राधिकारी
(सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, अरणाकुलम)।

तारीख 22–5–1973
सील

* (जो लागू न हो उसे काट दीजिए)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, PATNA

Patna, the 21st May 1973

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

No. III-L/Acq/73-74.—Whereas I, the Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, Acquisition Range, Patna, being the competent authority under section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing Nos. 214, 215 and 178 situated at Giridih, Hazaribagh (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Calcutta on 22-11-72 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the aforesaid property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

(1) Shri Sharin Dey, Soumen Dey, Sudhin Dey, Samin Dey and others of 14 Ramesh Datta Street, Calcutta.—(Transferor).

(2) Shrimati Santi Devi, Shrimati Meera Devi, Smt. Darupadi Devi and others all of Giridih, P.S. Giridih, Distt. Hazaribagh (Bihar)—(Transferee).

(3) Shri/Shrimati/Kumari.....(Person in occupation of the property)

(4) Shri/Shrimati/Kumari ..... (person whom the undersigned knows).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

Explanation.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Area 3B, 10K. 6 Ch. at Giridih in Brehame, P.S. Giridih, Hazarabagh Dt. Bihar, Ward No. 4 Holding Nos. 214, and 178.

Date:—21-5-73.

(Seal)

No. III-2/Acq/73-74.—Whereas I, the Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, Acquisition Range, Patna, being the competent authority under section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), have reasons to believe that the immovable property, having a fair market value of Rs. 25,000 and bearing No. 106/108 Circle No. 166, Plot No. 451 situated at Patna (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Calcutta on 25-11-72 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

(1) Shri Mathura Prasad, Mahadeb Prasad of 125/1 Cotton Street, Barabazar, Calcutta—(Transferor).

(2) Shri Sardar Gaspal & Srimati Mahendra Kaurw of Kali Bibi-ka-Kattra P.S. Chawk, Patna—(Transferee).

(3) Shri/Shrimati/Kumari..... (Person in occupation of the property).

(4) Shri/Shrimati/Kumari..... (Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

Explanation.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning.

THE SCHEDULE

16 armar house brick built partly pucca and partly kutcha with rent free land in Mahala Kali Asthan P.S. Chan dt. Patna Sub/Sadar Registry office Patna Holding No. 106/108 Circle No. 166 Plot No. 451 (Area by Decimals).

J. NATH,

Competent Authority,

Inspecting Assistant Commissioner of

Income-tax, Acquisition Range, Patna.

Date:—21-5-73.

Seal

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) कार्यालय अर्जन रेंज, पटना

पटना 21 मई 1973

सं०III—1/ए सी क्यू/73/74.—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269(1) के अधीन सूचना। अतः, मुझे सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पटना आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/— रुपया से अधिक है और जिसकी सं० 106/108 है और जिसकी सं० 161 है जो 451, पटना में स्थित है और इससे उपलब्ध अनुसूचि में पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के

कार्यालय कलकत्ता में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 25-11-1962 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर (अधिनियम) 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करन या उससे बचने के लिये सुकर बनाना और या ।

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य अस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था/छिपाने के लिये सुकर बनाना ।

और अतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गये है ।

अतः अब धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री मथुरा प्रसाद, श्री महादेव प्रसाद, 125/1 काटेन स्ट्रीट बड़ा बाजार, कलकत्ता ।	(अन्तरक)
2. श्री सरदार जमपाल और श्रीमती महेन्दर कौर, काली देवी का कटरा, थाना चौक, पटना ।	(अन्तरिती)
3. श्री/श्रीमती/कुमारी.....	(वह व्यक्ति, जिसके अधियोग में सम्पत्ति है) ।
4. श्री/श्रीमती/कुमारी.....	जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ।

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि

जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा :

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे। एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जायेगी। एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा ।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो इस अध्याय दिया गया है ।

अनुसूची

एक मकान, महल्ला काली, स्थान थाना चौक, जिला पटना, होल्डिंग नं० 106/108 सर्किल नं० 166 प्लाट नं० 451 ।

मोहर

तारीख : 21-5-73

स० III.–2/ए० एस० क्यू०/73-74.–अतः, मुझे सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, पटना, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति,

जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/– रुपया से अधिक है और जिसकी सं० 214, 215 और 178 है (और जिसकी सं० 4 है जो गिरीडिह में स्थित है और इससे उपलब्ध अनुसूचि में पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 22–11–1972 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर (अधिनियम) 1961 (196 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिये सुकर बनाना और या ।

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य अस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था छिपाने के लिये सुकर बनाना ।

और अतः आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कायवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गये हैं ।

अतः अब धारा 269–ग के अनुसरण में मैं आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

*(जो लागू न हो उसे काट दीजिए)

1. सर्वश्री सरीन डे, सोमेम डे, सुधीन डे, समीम डे, और अन्य
14, रमेश दत्त स्ट्रीट, कलकत्ता । (अन्तरक)

2. श्रीमती चान्दी देवी, मीरा देवी, द्रोपदी देवी तथा अन्य,
थाना गिरीडिह, जिला हजारीबाग । (अन्तरिती)

3. श्री/श्रीमती/कुमारी ..... (वह व्यक्ति, जिसके अधियोग में सम्पत्ति है)

4. श्री/श्रीमती/कुमारी जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ।

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जायेगी ।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा ।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो इस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

3 बिघा 10 कट्ठा 6 छंटाक जमीन होल्डिंग नं०, 298, 295 और 968 वार्ड नं० 4, गिरिडिह (थाना), जिला हजारीबाग ।

जे० नाथ,
सक्षम प्राधिकारी

तारीख 21-5-73

(मोहर)

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज पटना ।

जो लागू न हो उसे काट दीजिए ।

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, 60/61, ERANDAWANA, KARVE ROAD, POONA

Poona, the 16th May 1973

NOTICF UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

No. C.A.5/Nov.72/Haveli II/73-74.—Whereas I, S. P. Krishnamurthy, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value

exceeding Rs. 25,000 and bearing No. S. Nos. 4, 4|1, 4|3, 4|4 and 4|5 situated at Poona, opp. General Post Office, Poona-1. (and more fully described in the Schedue annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Haveli II, Poona on 30-11-72 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferer(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and|or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269 C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (i) of the section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

1. Shri.|Smt.|Kumari (Transferor)

(a) Smt. Eva w/o. Kali Rustumji Dastur.

(b) Mrs. Dhunbai w/o. Dhunji Shah D. Khambatta.

(c) Mrs. Hilla w/o. Homi R. Thanwalla.

(d) Miss Silla Nuserwanji Chenoy.

(e) Miss Franley N. Chenoy.

(f) Mrs. Khorshed J. Chenoy.

(g) Nariman J. Chenoy.

(h) Mrs. Naja K. Thanawalla.

c/o Gagrat & Co., Solicitors,

Advocates, Notaries Ali Chambers,

Nagindas Master Road, Fort, Bombay-1.

2. Shri./Smt./Kumari. (Transferee)

c/o. M/s. Shantinagar Builders,

3/5, Nanabhai Lane, Bombay-1.

Partners:

(a) Shri Bhagwan N. Chotrimal

(b) Smt. Chandabai N. Chotrimal

(c) Shri Narayan N. Gidwani

(d) Shri Daulat R. Masand

(e) Smt. Chandri S. Kamlani

Property—Address C.S. No. 4, 4/1, 4/3, 4/4, 4/5 Poona-1.

3. Shri/Smt./Kumari

(Known as Poona Hotel)

Name and address of person(s) if any, in occupation of the property.—

1. Shanti Nagar Builders.
2. Shanti-sadan Co-operative Housing Society Ltd. and all its members whose list is given under item No. 7.
3. M/s. A. Haq & Co., Construction Contractor.
4. H. H. Aliakbar & H. A. Ghulam, Props. General Restaurant, Tenants.
5. Mr. Nassarwanjee M. Kharadi, Tenant.
6. M/s. Caltex (India) Ltd., (Petrolpump & Service Station) Tenants.
7. Dean Doctor (Tenant).
8. Miss Devi Hariram, Tenant.
9. Mrs. J. G. Bharucha, Tenant.
10. Mr. Nankiram Jethani, Tenant.
11. Mr. Jethanand Israni, Tenant.
12. Mr. Sugnomal Keswani, Tenant.
13. Mr. Jivatram N. Mehata, Tenant.
14. Mrs. P. Hiranandani, Tenant.
15. Miss Kala Shahani, Tenant.
16. Mr. M. Rangawani, Tenant.
17. Mr. R. J. Baluja, Tenant.
18. Prop. Poona Hotel, C/o Shanti Nagar Builders Shanti-Kunj, 4, Sadhu Vaswani Road, Poona-1. (Address for all 18 occupants).

4. Shri/Smt./Kumari (As per list enclosed)
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Name and address of any other person(s) interested in the property.—

1. Mr. M. G. Ajani.
2. Mrs. Zarani Abdul Budhwani.
3. Mr. P. H. Kripalani.
4. Mr. Hashmatrai Motiram.
5. Mrs. Nihali T. Gurubaxani.
6. Mrs. Shantadevi Navalrai Mirpuri.
7. Mrs. Rukmini W. Keswani.
8. Mrs. Chandra M. Samtani.
9. Mr. M. D. Vaswani.
10. Mrs. Leela B. Tolani.
11. Mrs. Jankibai Ramchand Lalwani.
12. Mr. S. Govardhan Shetty.
13. Mrs. Krishana C. Advani.
14. Mr. G. T. Mahtani.
15. Mr. Jethanand P. Shahani.
16. Miss Chandra K. Lalwani.
17. Mr. Khubchand Daswani.
18. Mrs. Radhi T. Daswani.
19. Mrs. Janaki Parasram Surtani.
20. Mr. Atu L. Relwani.
21. Mr. A. K. Mulchandani.
22. Mr. D. M. Vaswani.
23. Mrs. Popati P. Sadrangani.
24. Miss. Mithi B. Thadani.
25. Miss Nirmala T. Jotwani.
26. Mr. T. S. Mulchandani.

27. Mrs. Sita Motiram.
28. Mrs. Indira M. Tolwani.
29. Mr. Pritram H. Shahani.
30. Mrs. T. S. Ayyar.
31. Mrs. Kamini B. Advani.
32. Mr. J. P. Advani.
33. Mrs. Pushpa K. Malkani.
34. Mr. S. V. Chandiramani.
35. Mr. K. T. Shahani.
36. Miss Kishori P. Gidwani.
37. Mr. Deepak G. Dusija.
38. Mrs. V. J. Balwani.
39. Mr. P. K. Adwani.
40. Mrs. Devi V. Lakhani.
41. Mr. Indru D. Bhojawani.
42. Mr. M. H. Thadani.
43. Mrs. Mohini Punjabi.
44. Mrs. Lachmi C. Gidwani.
45. Mrs. Vijayalaxmi D. Asnani.
46. Mr. Ratan R. Mirchandani.
47. Miss Savitri Vastiram.
48. Mr. N. A. Jhangiani.
49. Mr. J. B. Advani.
50. Miss M. J. Mirchandani.
51. Mrs. Sunita R. Kriplani.
52. Mrs. Reshma S. Goklaney.
53. Basantsing Amil D Trust.
54. Mr. J. B. Mirpuri.
55. Miss Devi B. Advani.
56. Miss R. R. Malkani.
57. Mr. C. P. Thadani.
58. Mr. G. R. Vaswani.
59. Mr. H. T. Gidwani.
60. Mrs. Shakuntala L. Madhwani.
61. Mrs. Devaki B. Shahaney.
62. Mrs. Chandri U. Kripalani.
63. Mr. P. M. Indani.
64. Miss Anita K. Gidwani.
65. Mr. N. W. Bhawani.
66. Miss Ishwari T. Jotwani.
67. Mrs. Sundri G. Adwani.
68. Mrs. Mohini G. Malkani.
69. Miss Chitra A. Ramchandani.
70. Mr. Gobindram T. Dadlani.
71. Mrs. Padma H. Adwani.
72. Miss Kamala S. Shivdasani.
73. Mr. Mulchand S. Tahiliani.
74. Mr. Shamshersing S. Rathore.
75. Miss Radhi R. Hiranandani.
76. Mrs. Pushpa K. Malkani.
77. Miss Lachmi Motiram.
78. Mr. Bansidhar T. Punjabi.
79. Mr. Ramchand G. Chulani.

80. Mr. Sital Anandsingh Gidwani.
81. Mr. Hiranand C. Advani.
82. Mr. Harchandrai Hariram Vatnani.
83. Miss Sharada Dhanrajani.
84. Dr. (Miss) Sati S. Mirchandani.
85. Mrs. Renu Kumar Jethmalani.
86. Mrs. Shilawanti K. Shahani.
87. Miss Mohini S. Sakharani.
88. Mrs. Vindri J. Hiranandani.
89. Mr. A. T. Ramchandani.
90. Mr. K. S. Wadhwani.
91. Mrs. Devibai B. Kriplani.
92. Mrs. Mithibai G. Khanchandani.
93. Mr. Bhagh B. Thadani.
94. Miss Ratna M. Vaswani.
95. Mrs. Meers S. Keswani.
96. Mrs. Ratna S. Vaswani.
97. Mrs. Savitri R. Jagtiani.
98. Mr. Naraindas P. Gajwani.
99. Mrs. Rukma Hashmatrai.
100. Mrs. Savitri T. Mirani.
101. Mr. Motiram G. Makhijani.
102. Mr. Bhagawandas D. Datwani.
103. Mrs. Lajwanti B. Hiranandani.
104. Mr. Dial G. Jagtiani.
105. Mr. Bhagwan Motiram.
106. Mrs. Gul N. Advani.
107. Mr. S. B. Ghanshani.
108. Mrs. Tulsibai Harjani.
109. Mrs. Raranbai Maghji.
110. Mr. Sunder B. Thadani.
111. Mr. Naraindas Ladharam.
112. Mrs. Sunita K. Dinani.
113. Mr. G. G. Mahtani.
114. Mr. Mohemed Dawood.
115. Miss Kavita Hashmatrai.
116. Mr. Salim Eshak Lakdwala.
117. Mr. Shaukat Eshak Lakdwala.
118. Mr. T. T. Daswani.
119. Mr. T. T. Daswani.
120. Mr. Mansoorali Gulam.
121. Mr. Arjan L. Lahori.
122. Mr. R. S. Shetty.
123. Mrs. Rahamatbai A. Budhani.
124. Mrs. C. G. Shetty.
125. Mr. T. T. Daswani.
126. Mr. Chandru M. Makhijani.
127. Mr. R. S. Shetty.
128. Mr. Prakash B. Indani.
129. Mr. Gopal V. Punwani.
130. Mr. Kan H. Malkani.
131. Prop. Poona Hotel, C|o The Secretary Shanti-sadan Co-operative Housing Society Ltd., Shanti-Kunj, 4, Sadhu Wasani Road, Poona-1.

132. Shanti Nagar Builders, 3/5 Sindhu house, Nanabhoy Lane, Folra Fountain, Bombay-1.

133. Shanti-sadan Co-operative Housing Society Ltd.

134. M/s. A. Haq & Co. Construction Contractors.

135. Mr. Nassarwanjee M. Kharadi, Tenant.

136. M/s. Caltex (India) Ltd., (Petrol Pump and Service Station), Tenants.

137. M/s. H. H. Allakbar & H. A. Ghulam, Props; General Restaurant, Tenants.

138. Deen Doctor, Tenant.

139. Miss Devi Hariram, Tenant.

140. Mrs. J. G. Bharucha.

141. Mr. Nanikram Jethani, Tenant.

142. Mr. Jethanand Israni, Tenant.

143. Mr. Sugnomal Keshwani, Tenant.

144. Mr. Jivatram N. Mehata, Tenant.

145. Mrs. P. Hiranandani, Tenant.

146. Miss Kala Shahani, Tenant.

147. Mr. Rangwani, Tenant.

148. Mr. R. J. Baluja, Tenant.

All C/o Shanti Nagar Builders, 'Shanti-Kunj', 4, Sadhu Wasvani Road, Poona-1.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

Explanations.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property Known as Poona Hotel, Poona-1.

Opp. General Post Office, Poona-1, situated at S. No. 4, 4/1, 4/3, 4/4 and 4/5.

Total Area 12442 sq. metres

S. P. KRISHNAMURTHY,

Date: 16-5-73.

Inspecting Assistant Commission of Income Tax, Acquisition Range, Poona.

(Seal)

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज कार्यालय

60/61 एसंडवना कर्वे रोड, पूना

पूना, 16 मई, 1973

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269ग (1) के अधीन सूचना

सं० सी० ए० 5 नवम्बर, 72/हवेली–II/73–74.—यतः मुझे, एस० पी० कृष्णमूर्थी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर, सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रुपये से अधिक है और जिसकी सं० स० नं० 4, 4/1, 4/3, 4/4 और 4/5, है जो पूना में स्थित है (और इससे उपाबन्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हवेली–II, पूना में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 30–11–72 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्त के (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिये प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिये सुकर बनाना, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरितों द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना;

और अतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं ।

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)

की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. (क) श्रीमती हवा काली रुस्तूमजी दस्तूर,

(ख) श्रीमती धनबाई धनजीशाह डो० खेवाना, (ग) श्रीमती होला होमी आर० थानावाला, (घ) श्रीमती सोला नसरेवानजी चीनाय, (ङ) श्रीमती फ्रेंके एन० चीनाय, (च) श्रीमती खुरशीद जे० चीनाय, (छ) नरीमन जे० चीनाय, (ज) श्रीमती नाजा के० थानावाला (अन्तरक)

द्वारा गाग्रर आर्णा कम्पनी, सालोसीटर्स एडवोकेट्स नोटारीस अली चेम्बर्स, नगीनदास मास्टर रोड, फोर्ट बम्बई—1

2. मे० शांतीनगर बीलडर्स, 3/5 नानाभाई लेन, बम्बई—1

पार्टनर्स

श्री/श्रीमती/कुमारी (1) श्री भगवान एन० चोदरामल (2) श्रीमती चंद्राबाई एन० चोदरामल (3) श्री नारायन एन० गिडवानी (4) श्री दौलत आर० मासण्ड (5) श्रीमती चन्दरा एम० कामलानी (अन्तरिती)

3 वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में संपत्ती है

(1) शांति नगर बिल्डर्स

(2) शातिसदन को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी और उनके सब सदस्य जिनकी सारणीक फाम नं० 37 जी में क्र० 7 पर दिये हैं।

(3) मे० ए० हक एन्ड कं०, कन्स्ट्रक्शन कान्ट्रेक्टर

(4) एच० एच० आदिकबार एन्ड एच० ए० गुलम प्रापा० जनरल रेस्टोरेंट, किरायेदार

(5) मे० जमखानजी एम० खराडी, किरायेदार

(6) मे० काल्टेक्स (इंडिया) पेट्रोल पम्प और सर्विस, किरायेदार

(7) डीन डाक्टर, किरायेदार

(8) कुमारी देवी हरिराम, किरायेदार

(9) श्रीमती जे० जी० भरूचा, किरायेदार

(10) श्री नानकीराम जेठानी, किरायेदार

(11) श्री जेठानन्द इमराणी, किरायेदार

(12) श्री सूगनोभाट किसवाणी, किरायेदार

(13) श्री जीवतराम एन० मेहता, किरायेदार

(14) श्रीमती पी० हिरानंदानी, किरायेदार

(15) कुमारी कल शाहानी, किरायेदार

(16) श्री रंगवाणी, किरायेदार

(17) श्री आर० जे० बालूजा , किरायेदार

(18) प्रोपा० पूना होटल

उपर निर्दिष्ट व्यक्तियों का पता

द्वारा शांतिनगर बिल्डर्स , शांतिकुंज , 4 साधूवास वानी रोड, पूना–1

4. वह व्यक्ति जिसके बारे में अधीहस्ताक्षरी जानता है कि वह संपत्ति में हितबद्ध है।

(1) श्री एम० जी० अजानी

(2) श्रीमती शरनी अबावूल बुधवानी

(3) श्री पी० एच० कृपलानी

(4) श्री हरामतरोई मोतीराम

(5) श्रीमती निहाली टी० गुरूबक्षानी

(6) श्रीमती शांति देवी नवलराई मरिपूरी

(7) श्रीमती रुक्मणि डब्लू केसवाणी

(8) श्रीमती चंद्रा एम० समताणी

(9) श्री एम० डी० वासवाणी

(10) श्रीमती लीला बी० तोलाणी

(11) श्रीमती जानकीबाई रामचन्द्र ललवाणी

(12) श्री एस० गोवधन शेटी

(13) श्रीमती कृष्णा जी ० अडवाणी

(14) श्री जी० टी० महतानी

(15) श्री जेठानन्द पी० शहाणी

(16) कुमारी चंद्रा के० ललवाणी

(17) श्री खूबचन्द दासवाणी

(18) श्रीमती राधी टी० दासवाणी

(19) श्रीमती जानकी भरतराम सुरतानी

(20) श्री मतु एल० रेलवाणी

(21) श्री ए० के० मूलचदानी

(22) श्री डी० एम० वासवाणी

(23) श्रीमती पोपटी पी० सदरंगानी

(24) कुमारी मीठी बी० शडानी

(25) कुमारी निमल टी० जोटवानी

(26) श्री टी० एस० मूलचन्दानी

(27) श्रीमती सीता मोतीराम
(28) श्रीमती इंदिरा एम० तोलवाणी
(29) श्री० प्रतिराम एच० शहाणी
(30) श्रीमती टी० एस० अय्यर
(31) श्रीमती कामिनी बी० अडवाणी
(32) श्री जे० पी० अडवाणी
(33) श्रीमती पुष्पा के० मलकानी
(34) श्री एस० बी० चैडीरामानी
(35) श्री के० टी० शहाणी
(36) कुमारी किशोरी पी० गिडवाणी
(37) श्री विपक जी० डुसिजा
(38) श्रीमती व्ही० जे० बलवाणी
(39) श्री पी० के० अडवाणी
(40) श्रीमती देवी व्ही० लखाणी
(41) श्री इन्दु डी० भोजवाणी
(42) श्री एम० एच० राडाणी
(43) श्रीमती मोहिनी पंजाबी
(44) श्रीमती लछमी सी० गिडवाणी
(45) श्रीमती व्हजियालक्ष्मी डी० असणाणी
(46) श्री रतन आर० मिरचंदाणी
(47) कुमारी सावित्री वसंतीराम
(48) श्री एन० ए० हंगियानी
(49) श्री जे० बी अडवाणी
(50) कुमारी एम्० जे० मिरचंदानी
(51) श्रीमती स्मिता आर० कृपलाणी
(52) श्रीमती रेश्मा एस० गोकलनी
(53) बसंतसिंग अमील डी० ट्रस्ट
(54) श्री जे० बी० मिरपुरी
(55) कुमारी देवी बी० अडवाणी
(56) कुमारी आर० आर० मलकाणी
(57) श्री सी० पी० थंडानी
(58) श्री जी० आर० वासवाणी
(59) श्री जी० टी० गिडवाणी

(60) श्रीमती शकुंतला एस० वड़वाणी
(61) श्रीमती देवकी बी० शहानी
(62) श्रीमती चंद्री यु० कृपलानी
(63) श्री० पी० एम० इंदानी
(64) कुमारी अनिता के० गिडवानी
(65) श्री एन० डब्लू० भवानी
(66) कुमारी इश्वरी टी० जोतवाणी
(67) श्रीमती सुन्द्री जी० अडवाणी
(68) श्रीमती मोहिनी जी० मलकानी
(69) कुमारी चित्रा ए० रामचंदानी
(70) श्री गोविदराम पी० दादलानी
(71) श्रीमती पदमा एच० अडवाणी
(72) कुमारी कमाडा एस० शिवदासाणी
(73) श्री मूलचन्द एस० सेहरानी
(74) श्री शमशेर सिंग एस० राठोर
(75) कुमारी राधी आर० हिरनंदानी
(76) श्रीमती पुष्पा के० मलकाणी
(77) कुमारी लक्ष्मी मोतीराम
(78) श्री बन्सीधर टी० पंजाबी
(79) श्री रामचन्द जी० चुलणी
(80) श्री शितल चंदन सिंग गिडवाणी
(81) श्री हीरानन्द सी० अडवाणी
(82) श्री हरचन्द्रानी हरिराम वर्तनानी
(83) कुमारी शारदा धनरंजानी
(84) डा० कुमारी सती एस० मिरचन्दानी
(85) श्रीमती रेणु कुमार जेठमलनी
(86) श्रीमती शीतवंती के शहाणी
(87) कुमारी मोहिनी एस० मंघरानी
(88) श्रीमती विन्द्री जे० हिरनंदाणी
(89) श्री ए० टी० रामचन्दाणी
(90) श्री के० एस० वडवागी
(91) श्रीमती देविबाई बी० कृपलाणी
(92) श्रीमती मिठीबाई जे० खानचंदानी

(93) श्री बाघ बी० थाडाणी
(94) कुमारी रतन ए० वासवणी
(95) श्रीमती मीरा एस० केसवाणी
(96) श्रीमती रतन एस० वासवाणी
(97) श्रीमती सावित्री आर जगतानी
(98) श्री नारायणदास पी० गजवानी
(99) श्रीमती रुकमा तशमनराय
(100) श्रीमती सावित्री टी० मिराणी
(101) श्री मोतीराम जी मखिजानी
(102) श्री भगवान दास टी० दातवाणी
(103) श्रीमती लाजवन्ती बी० हिरानन्दानी
(104) श्री दयाल जी जगतानी
(105) श्री भगवान मोतीराम
(106) श्रीमती गुल एन० अडवानी
(107) श्री एम० बी० धनशानी
(108) श्रीमती तुलसीबाई हरजानी
(109) श्रीमती रतनबाई भागशी
(110) श्री सुन्दर बी शडानी
(111) श्री नारायण दास लथराम
(112) श्री सिमल के दिनानी
(113) श्री जी० जी० महतानी
(114) श्री महमद दाऊद
(115) कुमारी कविता हशमतबाई
(116) श्री मकीम इशाक लकडवाल
(117) श्री शौकत इशाक लकडवाल
(118) श्री टी० टी० दासवाणी
(119) श्री टी० टी, दासवाणी
(120) श्री मन्सूरअली गुलम
(121) श्री अर्जुन एस० (लहोरी)
(122) श्री आर० एल० शेही
(123) श्रीमती रेशमनबोई ए० बुधानी
(124) श्रीमती सी० जी० शेही
(125) श्री टी० टी० दासवाण

(126) श्री चन्द्र एम० माखिजाणी

(127) श्री आर० एस० शेही

(128) श्री प्रकाश बी० इंदानी

(129) श्री गोपाल व्ही पूनवानी

(130) श्री कांत एच० मलकानी

(131) प्रोपा० पूना होटल द्वारा सेक्रेटरी शांती सदन, को आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड शांती कुंज, 4 साधुवासवाणी मार्ग पूना–7

(132) शांतीनगर बाडर्स 3/5 सिंधुगृह, नानाभाई लेन, फानेंराफाउंटेन-बंबई–7

(133) शांती सदन को– आप हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड

(134) मे० ए० हक अन्ड कंपनी , कन्स्ट्रक्शन कांन्ट्रक्टर

(135) श्री नसरवानजी एन खाडरी, किरायेदार

(136) मे० काल्टेक्स (इंडिया) पेट्राल पंप और सर्किल ,किरायेदार

(137) मे० एच० एच० अलिअकबर अन्ड एच० ए० गुलाम प्रो० पा० जनरल रेस्टोरंट किरायेदार

(138) डीन डाक्टर किरायेदार

(139) कुमारी देवी हरीराम किरायेदार

(140) श्रीमती जे० जी० भरूचा

(141) श्री जानकीराम जेठाणी किरायेदार

(142) श्री जेठानन्द इसराणी, किरायेदार

(143) श्री सुगणामल केसवाणी, किरायेदार

(144) श्री जीवनराम एन० मेहता किरायेदार

(145) श्रीमती पी० हिरानंदनी किरायेदार

(146) कुमारी करन साहानी किरायेदार

(147) श्री रंगवाणी किरायेदार

(148) श्री आर० जे० बालुचा किरायेदार उपर निर्दिष्ट व्यक्तियों का पता : द्वारा शांति नगर बिल्डर्स, शांतीकुंज 4 साधु वासवाणी मार्ग पूना—7

(वह व्यक्ति' जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्धन) । को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरु करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित रूप में किए जा सकेंगे ।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के ऊपर में किये गये आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिये तारीख और स्थान नियत किये जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरितों को दी जायेगी ।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिये अधिकार होगा ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20 क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

स० नं० 4, 4/1, 4/3, 4/4, और 4/5 क्षेत्रफल—12442 वर्ग मीटर्स (यह सम्पत्ति "पूना होटल" नाम से विदित है) ।

एस० पी० कृष्णमूर्ती,
सक्षम प्राधिकारी
(सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, पूना ।

तारीख : 16-5-73

(मोहर)

*(जो लागू न हो उसे काट दीजिए) ।

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, AMRITSAR RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 26th May, 1973

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

No. 72-13/Asr/P-1/S-1/252.—Whereas I, H. S. DHURIA, being the competent Authority under section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reasons to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,0000/- and bearing No. One House two storeyed, opposite Mahalakshmi Calico Printing Mills, Circular Road, Amritsar, situated at Circular Road, Amritsar (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1903 (16 of 1908) in the office of the registering Officer at Amritsar, on 22nd November 1972, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

(1) Shri Raj Kumar, s/o Sh. Amin (Transferor) Chand, Chawni Sadar, Amritsar.

(2) Shri Chaman Lal Mehra, s/o Sh. Bal (Transferee) Mukund Mehra and S/Sh. Jawahar Lal, Kasturi Lal, Nawal Kumar and Moti Lal, s/o Shri Chaman Lal Mehra, Circular Road, Amritsar.

(3) Shri As at Sl. No. 2 [Person(s) in occupation of the property].

(4) Shri /Smt./Km. Any person interested in the property.—[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expired later;

(b) by any of the person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have right to be heard at the hearing of the objections.

Explanation.—The term and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One house two storeyed with land as described in the Registered Deed No. 2221 dated 22nd November 1972 of the Registering Officer, Amritsar.

Date: 26-5-1973.

(Seal)

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, 26 मई 1973

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

सं० 72–73 / अमृतसर / पी-1 / एस-1 / 252.—अथा, मुझे एच० एस० धूरिया आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/– रुपये से अधिक है और जिसकी सं० एक, दो मंजिला मकान, जो कि महालक्ष्मी कालीको प्रिंटिंग मिल्ज, सर्कुलर रोड अमृतसर के बिल्कुल सामने

है जो सरकुलर रोड़ अमृतसर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमृतसर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 22-11-1972 को पूर्वोचित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोचित सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तर के (अन्तरकी) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया, ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य अस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना ;

और यह आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों को पूर्वोचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है : —

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री राजकुमार सपुत्र अमीचंद, छावनी सदर अमृतसर (अन्तरक)

(2) श्री चमन लाल मेहरा सपुत्र बालमुकन्द मेहरा तथा सर्वश्री जवाहर लाला, कसतूरी लाल, नवल कुमार तथा मोती लाल सपुत्र चमना लाल मेहरा, सरकुलर रोड अमृतसर (अन्तरिती)

(3) श्री/श्रीमती/कुमारी जैसे 2 नम्बर पर है।
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) श्री/श्रीमती/कुमारी कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति से सम्बन्धित है।
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्वारा कार्यवाहीयां शुरू करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति अक्षेप, यदि कोई है, तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा :

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के ऊपर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरितों को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे ये अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपी की सुनवाई के समय सुने जाने के लिये अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक, दो मंजिला मकान, जमीन के साथ में, जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2221 तारीख 22–11–72 की रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के दफ्तर में अमृतसर में लिखा है।

तारीख 25–5–73

(मोहर)

*जो लागू न हो, इसे काट दीजिए।

No. 72-73/Asr./P-2/S-2/253.—Whereas I, H. S. Dhurla, being the competent authority under section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reasons to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No. One house, two storeyed with private gali and three shops at Cooper Road, Amritsar, situated at Cooper Road, Amritsar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Amritsar on 28th November, 1972, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent considration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax, Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons namely:—

(1) Shri Avtar Singh, s/o Sh. Bhagwan Singh, Cooper Road, Amritsar—(Transferor).

(2) Smt. Prem Kaur, w/o Shri Bhagwan Singh, Cooper Road, Amritsar—(Transferee).

(3) As at Sl. No. 2 and all the tenants occuping the property—[Persons(s) in occupation of the property].

(4) Any person interested in the property—[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of the notice on the respective persons, whichever period expired later;

(b) by any of her persons interested in the said immovable property within 45 days from the date of the Publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof, shall be given to every person who has made such objections and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have right to be heard at the hearing of the objections.

Explanation.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One House two storeyed, three shops and private gall, etc., as described in the Registered Deed No. 2272, dated 28th November, 1972, of the Registering Officer, Amritsar.

Dated: 26th May, 1973.

(Seal)

सं० 72-73 / अमृतसर / पी-2 / एस-2 / 253.—यतः, मुझे एच० एस० धुरिया आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रुपये से अधिक है और जिसकी सं० एक मकान दो मंजिल जिसमें एक निजी गली है, जो कपूर रोड, अमृतसर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमतसर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 28-11-1972 को पूर्वोचित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोचित सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का प्रन्दह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तर के (अन्तर को) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया, ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य अस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है।

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री अवतार सिंह सुपुत्र भगवान सिंह, कपूर रोड, अमृतसर (अन्तरक)

(2) श्रीमती प्रेम कौर पत्नी श्री भगवान सिंह, कूपर रोड, अमृतसर (अन्तरिती)

(3) श्रीमती प्रेम कौर पत्नी श्री भगवान सिंह कूपर रोड, अमृतसर (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) श्री/श्रीमती/कुमारी—कोई भी व्यक्ति जो सम्पत्ति से सम्बन्धित है। (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है) को यह सूचना जारी कर के पूर्वोचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहीयां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई है, तो:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के ऊपर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हो, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे ये अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिये अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण.—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक, दो मंजिल मकान, तीन दुकानें, निजी गली वगैरा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत बिलेख नं० 2273 तारीख 28-11-72, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में वर्णीत है।

तारीख 26-5-73

(मोहर)

*जो लागू न हो, उसे काट दीजिए।

No. 72-73/Asr./P-3/S-3/254.—Whereas I, H. S. Dhurla, being the competent authority under section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reasons to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No. Kothi as described in the Registered Deed No. 2231, dated 24th November, 1972, or Registering Officer, Amritsar, situated at Amritsar. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Amritsar on 24th November, 1972, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax, Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons namely:

(1) Smt. Neel Mohan Kaur or Aneel Mohan Kaur, d/o Shri Shashpal Singh s/o Shri Balwant Singh, Mal Road, Amritsar—(Transferor).

(2) Smt. Gurparkash Kaur w/o Shri Shashpal Singh and S/Shri Parnit Singh s/o Sh. Kanwarjit Singh, Ajay Pal Singh s/o Tejinder Singh and Gurvink Singh s/o Shri Khushdip Singh—(Transferee).

(3) All tenants occupying the property—[Person(s) in occupation of the property].

(4) All persons interested in the property—[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of the notice on the respective perons, whichever, period expired later;

(b) by any of her persons interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof, shall be given to every person who has made such objections and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the proceeding paragraph shall have right to be heard at the hearing of the objections

Explanation.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Kothi as described in the Registered Deed No. 2231, dated 24th November 1972, of Registering Officer, Amritsar.

Dated: 26th May, 1973.

(Seal)

सं० 72-73 अमृतसर पी०-3 एस०-3/254.—यतः, मुझे एच० एस० धूरिया आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रुपये से अधिक है और जिसकी सं० कोठी, जैसा कि रजिस्ट्री कृत विलेख नं० 2231 तारीख 22-11-72 को रजिस्ट्रीकृत अधिकारी अमृतसर के दफ्तर में लिखा है अमृतसर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमृतसर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1808(1908 का 16) के अधीन 24-11-72 को पूर्वोचित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोचित सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से जैसे दृश्यमान प्रतिफल का अन्दाह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया, ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है —

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए मुकर बनाना और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए मुकर बनाना।

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं :—

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण ; मैं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा, 269-ग की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्रीमती नीत मोहन कौर या अतीन मोहन कौर सुपुत्री शिशुपाल सिंह सपुत्र बलवन्त सिंह, माल रोड, अमृतसर। (अन्तरक)

(2) श्रीमती गुरप्रकाश कौर पत्नी शिगुराज सिंह तथा सर्वश्री परनीत सिंह सपुत्र कंवरजीत सिंह, अजयपाल सिंह सपुत्र तेजिन्द्र सिंह तथा गुरविक सिंह सपुत्र खुशदीप सिंह (अन्तरिती)

(3) श्री/श्रीमती/कुमारी सभी किराएदार जो सम्पत्ति में रह रहे हैं। (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) श्री/श्रीमती/कुमारी सभी व्यक्ति जो सम्पत्ति से सम्बन्धित हैं। (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति को हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई है, तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा :

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख या 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के ऊपर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हो, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे ये अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण.—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कोठी जैसा कि रजिस्ट्री क्रम विलेख नं० 2231 तारीख 24-11-72, को रजिस्ट्रीकृत अधिकारी, अमृतसर के दफ्तर में लिखा है :

तारीख 26-5-73

(मोहर)

*जो लागू न हो, उसे काट दीजिए।

No. 72-73/Jul/P-4/S-4/255.—Whereas I, H. S. Dhuria, being the competent authority under section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No. Kothi No. 478, New Jawahar Nagar Jullundur, situated at Jullundur (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Jullundur on 18th November, 1972, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons namely:—

1. S/Shri Taroo Singh, s/o Jawala Singh, Hardev Singh and Milkha Singh, 181, Civil Lines, Jullundur—(Transferor).

2. Smt. Krishna Kanta Jaggi, w/o Dr. Darshan Lal Jaggi, 478, New Jawahar Nagar, Jullundur—(Transferee).

3. As at serial No. 2 above—[Person(s) in occupation of the property].

4. Any person interested in the property—[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expired later;

(b) by any of the person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof, shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have right to be heard at the hearing of the objections.

Explanation.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Kothi No. 478 in New Jawahar Nagar, Jullundur as mentioned in the Registered Deed No. 6435 dated 18th November, 1972, of registering officer, Jullundur.

Dated: 26th May, 1973.

(Seal)

सं० 72-73/Jul/P-4/S-4/255:—अतः मुझे एच० एस० धूरिया आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० कोठी नं० 478, नया जवाहर नगर, जालन्धर है जो जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 18-11-72 को पूर्वाचित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वाचित सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकी) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया, ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है —

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना और/या

(ख) ऐसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना।

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा, 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात:—

(1) श्री तारु सिंह सपुत्र ज्वाला सिंह, हरदेव सिंह तथा मिलखा सिंह 181, सिविल लाईनज, जालन्धर। (अन्तरक)

(2) श्रीमती कृष्णा कान्ता जग्गी पत्नी डा० दर्शन लाल जग्गी, 478, नया जवाहर नगर, जालन्धर। (अन्तरिती)

(3) श्री/श्रीमती/कुमारी.....जैसा कि नम्बर 2 में है। (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) श्री/श्रीमती/कुमारी कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहिया शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई है, तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा :

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधो-हस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के ऊपर दर्शित किए गए आक्षेपों, यदि कोई हो, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना इस पैरा के अधीन आक्षेप किए गए व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्वपर्दी पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने का अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण.—इस में प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में क्रमशः परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कोठी नं 48, नया जवाहर नगर जालन्धर जसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर के दफ्तर में रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 6435 तिथि 18—11—72 को दर्ज है

तारीख 26—5—73

(मोहर)

जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

No. 72-73/Jul/P-5/S-5/256.—Whereas I, H. S. Dhuria, being the competent authority under section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No. One plot of land mentioned in the Registered Deed No. 6665, dated 29th November, 1972, situated at Jullundur (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Jullundur, on 29th November, 1972, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the

transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-Tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons namely:—

1. Shri Jaswant Singh, s/o S. Chanan Singh, r/o Malaya House, Coal Road, Jullundur City, General-Attorney for Shri Ranbir Singh, s/o Late Shri Puran Singh r/o Malaya House, Jullundur—(Transferor).
2. Shri Jaswant Rai, s/o Shri Navrang Lal Jain, c/o M/s. United Auto Spares, Shashtri Market, Jullundur—(Transferee).
3. As at S. No. 2 above—[Person(s) in occupation of the property].
4. Any person interested in the property—[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expired later;

(b) by any of the person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have right to be heard at the hearing of the objections.

Explanation.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One plot of land as mentioned in the Registered Deed No. 6665, dated 29th November, 1972 of the Registering Officer, Jullundur.

Dated: 26th May, 1973.

(Seal)

सं० 72-73/Jul./P-5/S-5/526.—यथा, मुझे एच एस धूरिया आयकर अधिनियम, 1961 (1962 का 43) की धारा 269घ के अधीन संजम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने के कारण है, कि दयावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० एक जमीन प्लाट जो रजिस्ट्री कृत विलेख नं० 6665 तारीख 29-11-1972 है जो जालन्धर मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में भारतीय रजिस्ट्रीकरकु अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 29-11-1972 को पूर्वांचित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान

प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तर के (अन्तरकी) और अन्तहरती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया, ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने को अन्तरक से कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना और दायित्व या

(ख) ऐसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना ;

और यह: आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं :—

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री जसवंत सिंह सपुत्र श्री चनन सिंह मलाया हाउस कुल रोड, जालन्धर शहर मुख्तयारे आमा का श्री रणबीर सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री पूर्ण सिंह मलाया हाऊस, जालन्धर (अन्तरक)

(2) श्रीमती जसवंत राय सपुत्र श्री नवरंग लाल जैन, मारफत यूनाईटिड आटो सपेयरस, शास्त्री मार्कीट, जालन्धर (आन्तरिकी)

(3) श्री/श्रीमती/कुमारी। जैसा कि 2 पर है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) श्री/श्रीमती/कुमारी कोई व्यक्ति जो कि सम्पत्ति से सम्बन्धित है। (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अर्था हस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहीयां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति अक्षेप, यदि कोई है, तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा :—

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशत की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के बारे ऊपर में किए गए आक्षपों, यदि कोई हो, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जायेगी।

एतद्वारा आगे ये अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो इस उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक प्लाट जो रजिस्ट्री विलेख नं० 6665 तारीख 29-11-72 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में दर्ज किया हुआ है।

तारीख 26-5-73 सक्षम प्राधिकारी

(मोहर) सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

(जो लागू न हो, उसे काट दीजिए) अर्जन रेंज———

No. 72-73/Jul/P-6/S-6/257.—Whereas I, H. S. Dhuria, being the Competent Authority Under Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No.....One plot of land as mentioned in the Registered Deed No. 6663, dated 29th November, 1972 situated at Cool Road, Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering Officer at Jullundur on 29th November, 1972, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269D. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons:—

1. Shri Jaswant Singh s/o S. Chanan Singh R/O Malaya House, Cool Road. Jullundur, General Attorney for Shri Ranbir Singh s/o late Shri Puran Singh, Malaya House Cooal Road, Jullundur—(*Transferor*).

2. Smt. Saroj Bala w/o Shri Naim Chand Jain, R/O Model Town, Jullundur.—(*Transferee*).

3. As at S. No. 2 above.—[Person(s) in occupation of the property.]

4. Any person interested in the property.—[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any of the person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have right to be heard at the hearing of the objections.

Explanation.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One plot of land as mentioned in the Registered Deed No. 6663, dated 29th November, 1972 of the Registering Officer, Jullundur.

Dated 26th May, 1973.

Seal

सं० 72-73/ज्ञ०आई/पी-6/एम-6/257.—यतः, मुझे एच एस धूरिया आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि दयावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० एक जमीन का प्लाट जैसा कि रजिस्ट्री है, जो कुल विलेख नं० 6663,29 नवम्बर 72 में लिखा है कूल रोड जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकृत अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनयम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 29-11-72 को पूर्वोचित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है कि यथा पूर्वोचित सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तर के (अन्तरकी) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया, ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से उद्भूत किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने की अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना ;]

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं :—

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री जसवंत सिंह सपुत्र श्री चनन सिंह मलाया हाउस कुल रोड, जालन्धर शहर मुख्तायार आम श्री रणबीर सिंह के लिए सपुत्र श्री पूरण सिंह कुल रोड, जालन्धर (अन्तरक)

(2) श्रीमती सरोज बाला पत्नी श्री नापम चंद, नेम चन्द जैन माडल टाऊन, जालन्धर शहर (अन्तरिती)

(3) श्री/श्रीमती/कुमारी जैसा कि 2 नम्बर पर है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) श्री/श्रीमती/कुमारी कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति से सम्बन्धित है। (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्वारा कार्यवाहीयां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई है, तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा :

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के ऊपर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हो, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्वारा आगे ये अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण.—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

एक प्लाट भूमि जैसा रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 6663 तिथि 29-11-72 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर के दफ्तर मे दर्ज है।

तारीख 26-5-73

(मोहर)

(जो लागू न हो, उसे काट दीजिए)

No. 72-73/Jul/P-7/S-7/258.—Whereas I, H S. Dhuria, being the Competent Authority Under Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No. One plot of land as described in the Registered Deed No. 6664, dated 29th November, 1972 situated at Cool Road, Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering Officer at Jullundur on 29th November, 1972, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269D, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons:—

1. Shri Jaswant Singh s/o S. Chanan Singh, Malaya House, Cool Road, Jullundur City, General Attorney for Shri Ranbir Singh s/o late S. Puran Singh, r/o Malaya House, Cool Road, Jullundur City.—(Transferor).
2. S/Shri Pawan Kumar Anil Kumar s/o Shri Dhan Prakash, New Jawahar Nagar, Jullundur—(Transferee).
3. As at Serial No. 2 above—[Person(s) in occupation of the property].
4. Any person interested in the property.—[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any of the person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have right to be heard at the hearing of the objections.

Explanation.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One plot of land on Cool Road, Jullundur as described in the Registered Deed No. 6664, dated 29th November, 1972 of the Registering Officer, Jullundur.

Dated 26th May, 1973.

(Seal)

सं० 72-73/Jul./P-7/S-7/258.—यतः मुझे एच० एम० धुरीया आयकर अधिनियम, 1961 (1961 की 43) की धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि दयाबर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रुपये से अधिक है और जिसकी सं० एक जमीन का प्लाट जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 6664 तारीख 29-11-72 में दर्ज किया गया है, जो कूल रोड, जालंधर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप मे वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालंधर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 29-11-72 को पूर्वांचित सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है कि यथापूर्वांचित सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्त के (अन्तरकी) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया, ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरण में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना और दायित्व या

(ख) ऐसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने के लिए सुकर बनाना :—

और यतः आयकर अधिनियम, 1961, (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वांचित सम्पति के अर्जन के लिये कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गये हैं।

अतः अब धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं आयकर अधिनियम, 1961 (9161 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :

(1) श्री जसवन्त सिंह सुपुत्र चनन सिंह, मलाया हाऊस, कूल रोड, जालंधर शहर, मुख्तयारे आम श्री रणबीर सिंह का सपुत्र श्री पूर्ण सिंह, मलाया हाऊस, कूल रोड जालन्धर शहर (अन्तरक)

(2) श्री पवन कुमार प्रवीन कुमार पुत्र श्री धनप्रकाश, नया जवाहर नगर, जालंधर शहर (अन्तरिती)

(3) श्री/श्रीमति/कुमारी—जैसा कि (2) पर है।

.....(वह व्यक्ति, जिसके अधियोग में सम्पत्ति है)

(4) श्री/श्रीमति/कुमारी—कोई व्यक्ति जो कि सम्पत्ति से सम्बन्धित है .....वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करने के पूर्वोचित सम्पत्ति के अर्जन के लिये एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरु करता हूं। उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति अक्षेप, यदि कोई है, तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि, बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा :—

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में दिये जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के ऊपर में किये गये आक्षेपों, यदि कोई हो, की सुनवाई के लिये तारीख और स्थान नियत किये जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जायेगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिये अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर, अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है वही अर्थ होगा, जो इस अध्याय में किया गया है।

अनुसूची

एक प्लाट भूमि जो कि कूल रोड जालंधर पर स्थित है जैसा कि रजिस्ट्री विलेख नं० 6664 तारीख 29-11-72 रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी, जालंधर में दर्ज की गई है।

तारीख 26-5-73 सक्षम प्राधिकारी

मोहर अर्जन रेंज, अमृतसर।

(जो लागू न हो उसे काट दिजिये)

No. 72-73/Btl/P-8/S-8/259.—Whereas I, H. S. Dhuria, being the competent Authority under section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reasons to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No. Factory Building etc. and plot as mentioned in the Registered Deed No. 4182, dated 30th November, 1972 of Registering Officer Batala. Situated at Faizpur Road, Batala, (and more fully described in the Schedule

annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering Officers at Batala, on 30th November, 1972, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

(1) S/Shri/Gauri Mal, Darshan Kumar, Buta Ram, Chaju Ram, Sardari Lal, Chaman Lal, Batala—(Transferor).

(2) Shri Nihal Chand s/o Shri Thakur Dass Mahandroo c/o M/s. Mahandroo Industries, Faizpur Road, Batala—(Transferee).

(3) As at Sl. No. 2 [Person(s) in Occupation of the property].

(4) Any person interested in the property. [Person(s) whom the under signed knows to be interested in the property].

Objection, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expired later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have right to be heard at the hearing of the objections.

Explanation.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property consisting of portion of factory building, godown and three motors with electric installations etc. as mentioned in the registered deed No. 4182, dated 30th November, 1972 of Registering Officer, Batala.

Dated:— 26th May, 1973.

(Seal)

सं० 72-73/BTL1/P—8/3=8/259.—यतः मुझे एच० एम० धुरीया आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि दयाधर सम्पति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रुपये से अधिक है और जिसकी सं० एक फेक्टरी इमारत जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4182 तारीख 30-11-72 में दर्ज किया गया है जो फैजपुर रोड, बटाला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बटाला में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 30-11-72 को पूर्वांचित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है कि यथापूर्वांचित सम्पति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्त के (अन्तरकी) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया, ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरण में कमी करने या उससे बचने के लिए मुकर जाना और दायित्व/या

(ख) ऐसे किसी आय या धन का अन्य अस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने के लिए मुकर जाना :—

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वांचित सम्पति के अर्जन के लिये कार्यवाही शरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गये हैं।

अतः अब धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री गोरीमल, दर्शन कुमार, बूटा राम, छजु राम, सरदारी लाल, चमन लाल, बटाला (अन्तरक)

(2) श्री निहाल चन्द सपुत्र श्री ठाकुर दास, महिन्द्रु, मार्फत मैसर्स महिन्द्र इण्डस्ट्रीज, फैजपुर रोड़, बटाला (अन्तरिती)

(3) जैसा कि (2) पर है। .....
..... (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) कोई व्यक्ति जो कि सम्पत्ति से सम्बन्धित है । .....
..... (वह व्यक्ति जिसके बारे में अधहिस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वांचित सम्पत्ति के अर्जन के लिये एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरु करता हूं। उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई है, तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा :—

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति के हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के ऊपर में किये गये आक्षेपों, यदि कोई हो, की सुनवाई के लिये तारीख और स्थान नियत किये जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा कोई आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिति को दी जायेगी ।

एतद्द्वारा आगे ये अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिये अधिकार होगा ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर, अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है वही अर्थ होगा, जो इस अध्याय में किया गया है ।

अनुसूची

एक फैक्टरी इमारत जो कि फैजपुर रोड बटाला स्थित है जैसा कि रजिस्ट्री विलेख नं० 4102 तारीख 30-11-72 रजिस्ट्रो कर्ता अधिकारी, बटाला में दर्ज की गई है ।

तारीख 26-5-73

सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जन रोड, अमृतसर ।

(मोहर)

(जो लागू न हो उसे काट दीजिये)

No. 72-73/Btl/P-9/S-9/260.—Whereas I, H. S. Dhuria, being the competent Authority under section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reasons to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No. Building and plot as mentioned in the Registered Deed No. 4367, dated 13th December, 1972 of Registering Officer, Batala. Situated at Faizpur Road, Batala (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering Officers at Batala on 13th December, 1972, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

(1) Shri Gauri Mal, s/o Sh. Prab Dayal Darshan Kumar, Buta Ram, Chaju Mal, Sardari Lal s/o Shri Vasakhi Ram, Chaman Lal, Batala—(Transferor).

(2) Shri Sohan Lal, s/o Nihal Chand, c/o M/s. Mahandroo Industries, Batala—(Transferee).

(3) As at Sl. No. 2—[Person(s) in Occupation of the property].

(4) Any person interested in the property.—[Persons(s) whom the under signed knows to be interested in the property].

Objection, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expired later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have right to be heard at the hearing of the objections.

Explanation.—The term and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Building and plot 13 M with motors and electric installations etc. as mentioned in the sale deed registered under No. 4367, dated 13th December, 1972 by the Registering Officer, Batala.

Date:—26th May, 1973

(Seal)

सं० 72-73/बी टी एल/पी-9/एस-9/260.—यतः मुझे एस० एच० घूरीया आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि दयावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 28000/-रुपये से अधिक है और जिसकी सं० एक इमारत और प्लाट जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख सं० 4367 ता: 13-12-72 है जो फैजपुर रोड बटाला——————————————————मैं स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मैं और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बटाला में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 13 दिस बर, 1972 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने के

कारण है कि यथापूर्वोचित सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्त के (अन्तरकी) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया, ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना / या

(ख) ऐसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना :

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं ।

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री गौरी मल सपुत्र प्रताप दयाल, दर्शन कुमार, पूनाराम, छज्जू मल, सरदारी लाल सपुत्र श्री बैसाखी राम, चमन लाल, बनाला (अन्तरक)

(2) श्री साहब लाल सपुत्र निहाल चन्द मारफत मैसर्स महिन्द्रु इन्डस्ट्रीज, बनाला———————————(अन्तरिती)

(3) श्री/श्रीमती/कुमारी जैसा कि (2) पर है
———————————वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है

(4) श्री/श्रीमती/कुमारी कोई व्यक्ति जो कि सम्पत्ति से सबंधित है ।
———————————(वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई है, तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा :—

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधो-हस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के बारे में ऊपर किए गए आक्षेपों, यदि कोई हो, की सुनवाई के लिए, तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी ।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा ।

स्पष्टीकरण.—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो इस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक इमारत और प्लाट कैनपुर रोज बताला स्थित है जैसा कि रजिस्ट्री विलेख नं० 4367 तारीख 13-12-1972 रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी बताला में दर्ज है ।

तारीख 26-5-73

(मोहर)

(जो लागू न हो, उसे काट दीजिए)

No. 72-73/Asr./P-10/S-10/261.—Whereas I, H. S. Dhuria, being the competent Authority under Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), have reasons to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No. One Kothi No. 1236-A, Kot Mahant Ram Saran Dass, Putlighar, Amritsar, situated at Putlighar, Amritsar. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the registering Officer at Amritsar on 28-11-1972, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

(1) Smt. Daljit Kaur, D/o Sh. Narinder Singh, Putlighar, Amritsar (Present address; Majua Changla Teh. Dassuya, Distt. Hoshiarpur) (Transferor).

(2) Shri Bishan Singh S/o Sh. Bhagwan Singh, 1236-A, Kot Mahant Ram Saran Dass, Putlighar, Amritsar (Transferee).

(3 As at Sl. No. 2—[Person(s) in occupation of the property].

(4) Any person interested in the property—[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by way of the aforesaid person within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expired later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have right to be heard at the hearing of the objections.

Explanation.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Kothi No. 1236-A on plot measuring 85 ft. x 48 ft. as described in the Registered Deed No. 2289, dated 28-11-1972, of the Registering Officer, Amritsar.

Date: 26th May 1973.

(Seal)

सं० 72-73/अमृतसर/P-10/S-10/261.—यतः मुझे एच० एस० धूरिया आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रुपये से अधिक है और जिसकी सं० एक कोठी न० 1236-ए कोट महल रामसरन दास पुतली घर अमृतसर है जो पुतलीघर अमृतसर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमृतसर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 28-11-72 को पूर्वाचित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है कि यथा पूर्वाचित सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया, ऐसे अन्तरण के लिये प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिये सुकर बनाना और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य अस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर-अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन

कर अधिनियम, 1957, (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना ।

और यत: आकर अधिनियम, 1961, (1061 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गये हैं ।

अत: अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के आधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमति दलजीत कौर सपुत्नी नरेन्द्र सिंह पुतलीघर, अमृतसर वर्तमान पता मनुआं चांगला, तहसील दसूआ, जिला होशियारपुर (अन्तरक)

(2) श्री बिशन सिंह सपुत्र भगवान सिंह, 1236-A, कोट महंत राम शरण दास पुतली घर, अमृतसर (अन्तरिती)

(3) श्री/श्रीमति/कुमारी जैसा कि (2) में है ।

..... (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) श्री/श्रीमति/कुमारी कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ।

..... (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है, कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोचित सम्पति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई है, तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हों, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा :

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधो-हस्ताक्षरी के पास लिखित में लिए जा सकेंगे ।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उपर में किये गए आक्षेपों, यदि कोई हो, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जायेगी ।

एतद्द्वारा आगे यह सूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के लिए समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा ।

स्पष्टीकरण.—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकार अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो इस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक कोठी के 1236-ए प्लाट 85 फुट— 48 फुट जैसा की रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर के दफ्तर में रजिस्ट्रीकृत अभिलेख नं० 2289 तिथि 28-11-72 को दर्ज है

तारीख 26—5—73

(मोहर) Sd

(जो लागू नहीं हो उसे काट दीजिए)

No. 72-73/Jul/P-11/S-11/262.—Whereas I, H. S. Dhuria, being the competent Authority under Section 269D of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No. Kothi No. 498 in Green Park Colony (Garha Road) as described in the registered Deed No. 6543 dated 24-11-1972 of registering officer Jullundur situated at Jullunder, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering Officer at Jullundur, on 24th November, 1972 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

(1) Shri Kashmiri Lal, s/o Shri Gurditta Mal, Prop. M/s Olympic Industries, Ladowali Road, Jullundur, (Transferor).

(2) Smt. Satwant Kaur, w/o Shri Chanan Singh, Advocate, s/o S. Kartar Singh, Kothi No. 498 Green Park Colony, Garha Road, Jullundur. (Transferee).

(3) As at serial No. 2 above. [Person(s) in occupation of the property]

(4) Any person interested in the property. [Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the Property]

Objection, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expired later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have right to be heard at the hearing of the objections.

Explanation—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Kothi No. 498 in Green Park Colony (Garha Road) as described in the Registered Deed No. 6543, dated 24th November, 1972 of the Registering Officer, Jullundur.

Date: 26th May 1973.

(Seal)

सं० 72-73/जुलाई/पी०-11/एस-11/262.—यतः, मुझे एस० एच० धुरिया आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/- रुपये के अधिक है और जिसकी सं० एक कोठी नं० 498 जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 6543 तारीख 24-11-72 है, जो गरहा रोड, जालन्धर, ग्रीन पार्क कालोनी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालान्धर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 24-11-72 की पूर्वांचित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वांचित सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्त के (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया, ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना या

(ख) ऐसी किसी आय या कि धन या अन्य अस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना ।

और अतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वांचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वार अभिलिखित किए गए हैं ।

अतः उक्त धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री कश्मीरी लाल सुपुत्र श्री गुरदित्ता मल प्रोपाईटर मैसर्ज ओलम्पिक इंडस्ट्रीज, लाडोवाली रोड, जालंधर (अन्तरक)

(2) श्रीमती सतवंत कौर पत्नी श्री चनन सिंह एडवोकेट, सुपुत्र करतार सिंह कोठी नं० 498 ग्रीन पार्क कालोनी गरहा रोड, जालन्धर ('अन्तरिती')

(3) श्री/श्रीमती/कुमारी जैसा कि (2) पर है

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) श्री/श्रीमती/कुमारी कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में सम्बन्धित है।

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधिहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई है, तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा :

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधो हस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के बारे ऊपर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हो, की सुनवाई के लिए, तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी ।

एतदद्वारा आगे ये अधिसूचित किया जाता है कि ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण.—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो इस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

कोठी नं० 498 जोकि ग्रीन पार्क कालोनी (गरहा रोड) जालंधर में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 6543 ता० 24-11-72 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालंधर में दर्ज है ।

तारीख 26-5-73

(मोहर)

(जो लागू न हो, उसे काट दीजिए)

No. 72-73/Btl/P-12/S-12/263.—Whereas I, H. S. Dhuria, being the competent Authority under Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reasons to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No. Agricultural land as mentioned in the Registered Sale Deed No. 4173 dated 29th November, 1972 of Registering Officer, Batala, situated at Nawan Pind, near Shahpura, Teh. Batala, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Rgistration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Batala on 29th November 1972, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

(1) S/Shri Inderjit, Joginderpal, Varinder Kumar and Narinder Nath, s/o Shri Guru Datt, Bandari Mohalla, Batala. (Transfero).

(2) S/Shri Jagat Ram and Gian Chand s/o Shri Ram Chand, and Asa Ram s/o Shri Bhag Mal Alinal Road, Batala—(Transferee).

(3) As per Sl. No. 2—[Person(s) in occupation of the property].

(4) Any person interested in the property—[Person(s) whom the undersigend knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by way of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expired later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have right to be heard at the hearing of the objections.

Explanation.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land 73 Kanal, 4 Marle as mentioned in the Registered Deed No. 4173, dated 29th November, 1972 of Registering Officer, Batala.

Date: 26th May 1973.

Seal

प्ररुप आई टी एन एस———————————————आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (i) के अधीन सूचना

यतः, मुझे एच० एस० धुरिया आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 73) की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/— रुपए से अधिक है और जिसकी सं० खेती की जमीन जो कि रजिस्ट्री विलेख 4173 है, जो ता: 29—11—72 रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी बटाला के पास की गई नया पंडि, नजदीक शाहपुर तह : बटाला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बटाला में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 29—11—72 पूर्वोचित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोचित सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया, ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रुप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य अस्तियों का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने के लिए सुकर बनाना।

और यत : आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20—क के शब्दों में पूर्वोचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरु करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं ।

अत : अब, धारा 269—ग के अनुसरण में, मैं आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269—घ की उपधारा (i) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1). इंदरजीत, जोगिन्दरपाल, वरिन्द्र कुमार, नरेन्द्र नाथ पुत्र श्री गुरु दत्त, पंडारी मोहल्ला बटाला (अन्तरक)

(2) श्री जगत राम ज्ञान चंद सपुत्र श्री राम चंद आसा राम सपुत्र श्री भाग मल अलीवाल रोड, बटाला (अन्तरिती)

(3) श्री/श्रीमती/कुमारी जैसे कि नं: (2) पर है (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) श्री/श्रीमती/कुमारी ऐसा व्यक्ति जो कि सम्पत्ति से सम्बन्धित है। (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधिहिस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरु करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति अक्षेप, यदि कोई है, तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधी-हस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के ऊपर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हो, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे ये अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पेशके अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन 73 कनाल 4 मरला जैसा कि रजिस्ट्री विलेख नं: 4173 ता: 29-11-72, रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी बटाला के दफ्तर में वर्णित है।

तारीख 26-5-73

मोहर

(जो लागू न हो, उसे काट दीजिए)

No. 72-73/As/P-13/S-12/264.—Whereas I, H. S. Dhuria, being the competent Authority under section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reasons to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No. Open Land measuring 12384 sq. yards, (Pot No. 25 in Rani-ka-Bagh) Amritsar, Situated in Rani-ka-Bagh Amritsar, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering Officer at Amritsar, on 28th November 1972, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have

reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely:—

(1) S/Shri Mohinder Singh, s/o Sh. Santa Singh, Mukhtiar Singh, s/o Kesar Singh & Avtar Singh, s/o Sucha Singh Village Kotli Nasir Khan, Teh. and Distt. Amritsar—(Transferor).

(2) Shri Harpal Singh s/o Sh. Gurdip Singh, Vill. Wadhala Pitta Wadh Teh. & Distt. Amritsar & Smt. Satvinder Kaur w/o Shri Sukhdev Singh, s/o Sh. Udam Singh, Vill. Dalam Teh. Ajnala, Distt. Amritsar—(Transferee).

(3) As per Sl. No. 2—[Person(s) in occupation of the property].

(4) Any person interested in the property—[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, in the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expired later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed and notice thereof shall be given to every person who has made such objection and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have right to be heard at the hearing of the objections.

Explanation—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 25, private in Rani-ka-bagh as described in the Registered Deed No. 2263 dated 28th November, 1972 of the Registering Officer, Amritsar.

H. S. DHURIA,

Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax, Acquisition Range, Amritsar.

Dated: 26*th May*, 1973.

Seal

प्ररूप आई० टी० एन० एस०

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा–269 घ (1) के अधीन सूचना

तारीख 26-5-1973

निदेश सं० 72-73/ASR /P 13/S-13/264

यत : मुझे एच० एस० धुरिया आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ के अधीन सम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रुपये से अधिक है और जिसकी सं० खुली जगह 1238 3/4 वर्गगज प्लाट नं० 25 रानी का बाग अमृतसर है जो रानी का बाग अमृतसर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है)। रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमृतसर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 28-11-72 को पूर्वोचित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये रजिस्ट्रीकृत अभिलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है कि यथा पूर्वोचित सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह की अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती, (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया, ऐसे अन्तरण के लिये प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :–

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961, (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिये सुकर बनाना और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य अस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन कर अधिनियम, 1957, (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना .

और यत: आकर अधिनियम, 1961, (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गये हैं:–

अत: अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :––

(1) श्री महेन्द्र सिंह सपुत्र सन्ता सिंह मुख्तार सिंह सपुत्र केसर सिंह अवतार सिंह सपुत्र सुचा सिंह कोटली निजार खां तहसील व जिला अमृतसर (अन्तरक)

(2) श्री हरपाल सिंह सपुत्र गुरदीप सिंह, वडाला भिटाखड़ तहसील व जिला अमृतसर श्रीमती सतविंद्र कौर पत्नी सुखदेव सिंह सपुत्र ऊधम सिंह ढल्ली (अन्तरिती)

तहसील अजनाला जिला अमृतसर

(3) श्री जैसे दो नम्बर पर है।

..... (वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) श्री/श्रीमति/कुमारी कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति से सम्बन्धिता है ।

..... (वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है, कि वह सम्पत्ति में हित बद्ध है।)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई है, तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उपर में किये गए आक्षेपों, यदि कोई हो, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जायेगी ।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो इस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्लाट नं० 25 जो कि निजी है रानी के बाग में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नम्बर 2263 तारीख 28-11-72 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के दफ्तर अमृतसर में लिखा है

सक्षम प्राधिकारी

(सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज अमृतसर ।

तारीख

मोहर

(जो लागू न हो उसे काट दीजिए)

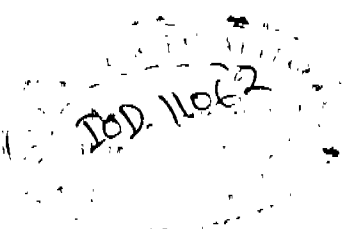

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973